

# न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी :- राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का रुणीजा

बनाम

अप्रार्थी:- भंवरु पुत्र श्री सवाई निवासी गिंगोली

अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 25/19

निर्णय दिनांक :-09/09/2019

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रुणीजा ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2076 में सरहद गिंगोली के ख.न. 333 रकबा 0.03 हे० भूमि किरम गै.मु.नाला में बाड लगाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर बाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वारंते वजह सबूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थी का नोटिस पिता से तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी ने उपस्थित हुआ लेकिन जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी उपरोक्तानुसार पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार मौजा गिंगोली के ख.न 333 रकबा 0.03 हेक्टेयर भूमि किरम गै.मु.नाला में अतिक्रमण किया हुआ है।

प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी का मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से वेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 8 रुपये प्रति हेक्टेयर से अतिक्रमित भूमि 0.03 हे० के 0.18 रुपये के लगान का 50 गुणा 9/- अक्षरे नौ रुपये बतौर जुर्माना कायम किया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से वेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।



तहसीलदार परबतसर